

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 वैशाख 1942 (श0) (सं0 पटना 301) पटना, वृहस्पतिवार, 14 मई 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 14 मई 2020

एस॰ ओ॰ 124 दिनांक 14 मई 2020--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात् नियमावली कहा गया है), के नियम 9 के खंड (ग) और नियम 25, जो वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ 321 दिनांक 03 जुलाई 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 770 दिनांक 03 जुलाई 2019, द्वारा प्रकाशित किया गया था,द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, 21 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको नियमावली के उक्त उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करते हैं।

[(सं॰सं॰ बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9)-818)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

14 मई 2020

एस० ओ० 124 दिनांक 14 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—9)818)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव। The 14th May 2020

S.O. 124 Dated 14th May 2020-- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with clause (c) of rule 9 and rule 25 of the Bihar Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019 (hereinafter referred to as the rules), made vide Commercial Taxes Department notification No. S.O. 321 dated the 3rd July, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 770 dated the 3rd July, 2019, the Governor of Bihar, hereby appoints the 21st day of April, 2020, as the date from which the said provisions of the rules, shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9)-818)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 301-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in